राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–प015(1)राज–6/11/1 जयपुर दिनांक :–11-1-12

परिपत्र

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183–बी तथा 183–सी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा किये जाने पर सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात संक्षिप्त प्रक्रिया (summary manner) द्वारा त्वरित बेदखली एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 183–सी में न्याय के नैसंर्गिक सिद्धान्त के तहत अतिक्रमि को 15 दिन का अवसर दिये जाने के उपरांत उसके द्वारा अतिक्रमण न हटाये जाने की स्थिति में दोष सिद्ध होने पर न्यूनतम एक माह तथा अधिकतम 3 वर्ष का साधारण कारावास तथा अधिकतम रूपये 20,000/– का जुर्माना किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8–12–2000, 9–2–07 एव 23–4–09 को परिपत्र जारी कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर उनकी सख्ती से पालना किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

एतद्द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जों के प्रकरणों को निश्चित समयावधि में प्राथमिकता के तौर पर निस्तारित करावें। साथ ही परिपत्र दिनांक 8–12–2000 में वर्णित प्रपत्रों के अनुसार सूचना नियमित रूप से राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(आर0के मीणा)
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवाकर लेख है कि नियमित सूचना प्राप्त कर इकजाई सूचना राजस्थान सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
4. उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
5. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

उप शासन सचिव